



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़ 1943 (श10)

(सं0 पटना 596) पटना, शुक्रवार, 9 जुलाई 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

9 जुलाई 2021

एस0 ओ0 118, दिनांक 9 जुलाई 2021— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 09 दिनांक 03 जनवरी 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 20 दिनांक 03 जनवरी 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना के

- (i) आठवे परंतुक में, तालिका के स्थान पर, मई 2021 के 20वें दिन से प्रभावी निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“तालिका

क्र.सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	कर अवधि	सीमा जिसके लिये विलंब फीस अधित्यक्त किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले पंद्रह दिन तक

क्र.सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	कर अवधि	सीमा जिसके लिये विलंब फीस अधित्यक्त किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा- (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	मार्च 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले साठ दिन तक
		अप्रैल 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले पैंतालीस दिन तक
		मई 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले तीस दिन तक
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा- (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	जनवरी - मार्च 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले साठ दिन तक”।

(ii) आठवे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“परंतु यह भी की उन रेजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने नियत तारीख तक माह/ तिमाही जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत देय विलंब फीस रुपये पांच सौ से अधिक अधित्यजन किया जाता है:

परंतु यह भी की यदि उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की राशि शून्य है तो उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत देह विलंब फीस रुपये दो सौ पचास से अधिक को उन रेजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यजन किया जाता है जिन्होंने नियत तारीख तक माह/ त्रिमास जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं:

परंतु यह भी की उन रेजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किये गए हैं, और जो नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत जून 2021 की कर अवधि से या जून 2021 को खतम तिमाही की कर अवधि से, जैसा भी मामला हो, देय विलंब फीस, जो की निम्नलिखित

तालिका के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट किये गए रकम से अधिक है, अधित्यजन किया जाता है, अर्थात्: -

तालिका

क्र.सं. (1)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	रकम (3)
1.	रेजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनकी उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की राशि शून्य है	रुपये दो सौ पचास
2.	रेजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो, क्र.सं. (1) के अंतर्गत आने वालों के आलावा	रुपये एक हजार
3.	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ से अधिक हो और 5 करोड़ से कम हो, क्र.सं. (1) के अंतर्गत आने वालों के आलावा	रुपये दो हजार पांच सौ" ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-12)1192)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

9 July 2021

एस० ओ० 118, दिनांक 9 जुलाई 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12)1192)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 9th July 2021

S.O. 118, dated 9th July 2021— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 09 dated the 3rd January, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 20 dated the 3rd January, 2019, namely: —

In the said notification,-

- (i) in the eighth proviso, with effect from the 20th day of May, 2021, for the Table, the following Table shall be substituted, namely: —

“Table

S. No.	Class of registered persons	Tax period	Period for which late fee waived
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	March, 2021, April, 2021 and May, 2021	Fifteen days from the due date of furnishing return

S. No.	Class of registered persons	Tax period	Period for which late fee waived
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	March, 2021	Sixty days from the due date of furnishing return
		April, 2021	Forty-five days from the due date of furnishing return
		May, 2021	Thirty days from the due date of furnishing return
3	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	January-March, 2021	Sixty days from the due date of furnishing return.”;

(ii) after the eighth proviso, the following provisos shall be inserted, namely: —

“Provided also that for the registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months /quarter of July, 2017 to April, 2021, by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of June, 2021 to the 31st day of August, 2021, the total amount of late fee under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of five hundred rupees:

Provided also that where the total amount of state tax payable in the said return is nil, the total amount of late fee under section 47 of the said Act shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees for the registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months / quarter of July, 2017 to April, 2021, by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of June, 2021 to the 31st day of August, 2021:

Provided also that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act for the tax period June, 2021 onwards or quarter ending June, 2021 onwards, as the case may be, shall stand waived which is in excess of an amount as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in **FORM GSTR-3B** by the due date, namely: —

Table

S. No.	Class of registered persons	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	Registered persons whose total amount of state tax payable in the said return is nil	Two hundred and fifty rupees
2.	Registered persons having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1	One thousand rupees
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees 5 crores in the	Two thousand and five hundred rupees”.

S. No.	Class of registered persons	Amount
(1)	(2)	(3)
	preceding financial year, other than those covered under S. No. 1	

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12)1192)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 596-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>